

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

क्रमांक: वि.सं. 01/परीक्षा/व.अ./माध्यमिक शिक्षा/RPSC/EP-I/2022-23

दिनांक : 05.04.2022

आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021 एवं टीएसपी क्षेत्र हेतु राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिकवर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 के अंतर्गत वरिष्ठ अध्यापक (SENIOR TEACHER) के निम्नलिखित विषयों के पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद अस्थाई हैं एवं विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों (पदों में कमी/वृद्धि की जा सकती है) का वर्गवार वर्गीकरण निम्नानुसार है:-

कुल पदों की संख्या	सामान्य (अनारक्षित) पद				आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग				अनुसूचित जाति वर्ग				अनुसूचित जनजाति वर्ग				पिछड़ा वर्ग				अति पिछड़ा वर्ग			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
अंग्रेजी (कुल 1668पद)																								
सामान्य क्षेत्र 1509	388	111	47	9	109	30	12	0	168	49	18	3	128	39	12	2	217	62	26	6	55	14	4	0
टी.एस.पी.क्षेत्र 151	54	15	7	1	0	0	0	0	6	1	0	0	48	13	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0
सहरिया 8	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दण्डवत आरक्षण नॉनटीएसपी – भूतपूर्व सैनिक 183 (01 बैकलॉग) पद, विशेष योग्यजन 62 पद (B/LV-14, HI-18, LD/CP&Others-17, I.D.,M.I.,S.L.D.,AUTISM&MD-13) दण्डवत आरक्षण टीएसपी – भूतपूर्व सैनिक 20 (02 बैकलॉग) पद, विशेष योग्यजन 7 पद (B/LV-3 (01 बैकलॉग), HI-2, LD/CP&Others-1, I.D.,M.I.,S.L.D.,AUTISM&MD-1)																								
हिन्दी (कुल 1298 पद)																								
सामान्य क्षेत्र 1173	296	83	34	10	87	26	7	0	131	37	15	3	98	27	14	1	172	49	20	4	41	11	7	0
टी.एस.पी.क्षेत्र 121	43	12	5	1	0	0	0	0	4	2	0	0	38	11	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0
सहरिया 4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दण्डवत आरक्षण नॉनटीएसपी – भूतपूर्व सैनिक 180 (38 बैकलॉग) पद, विशेष योग्यजन 61 पद (B/LV-15 (3 बैकलॉग), HI-11, LD/CP&Others-23 (12 बैकलॉग), I.D.,M.I.,S.L.D.,AUTISM&MD-12) दण्डवत आरक्षण टीएसपी – भूतपूर्व सैनिक 52 (38 बैकलॉग) पद, विशेष योग्यजन 10 पद (B/LV-3 (02 बैकलॉग), HI-1, LD/CP&Others-5 (4 बैकलॉग), I.D.,M.I.,S.L.D.,AUTISM&MD-1)																								
गणित (कुल 1613 पद)																								
सामान्य क्षेत्र 1356	350	101	39	9	98	28	8	0	149	45	17	3	113	34	12	1	199	58	21	4	48	14	5	0
टी.एस.पी.क्षेत्र 244	85	25	10	3	0	0	0	0	7	3	1	0	77	22	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0
सहरिया 13	10	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दण्डवत आरक्षण नॉनटीएसपी – भूतपूर्व सैनिक 223 (60 बैकलॉग)पद, विशेष योग्यजन 57 पद (B/LV-14, HI-15, LD/CP&Others-15, I.D.,M.I.,S.L.D.,AUTISM&MD-13) दण्डवत आरक्षण टीएसपी – भूतपूर्व सैनिक 38 (8 बैकलॉग) पद, विशेष योग्यजन 11 पद (B/LV-2, HI-2, LD/CP&Others-4 (2 बैकलॉग), I.D.,M.I.,S.L.D.,AUTISM&MD-3)																								
संस्कृत (कुल 1800 पद)																								
सामान्य क्षेत्र 1510	381	110	44	11	110	32	10	0	167	45	22	7	126	36	16	2	222	63	23	8	53	17	5	0
टी.एस.पी.क्षेत्र 281	100	28	11	3	0	0	0	0	10	3	1	0	89	24	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0
सहरिया 9	6	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दण्डवत आरक्षण नॉनटीएसपी – भूतपूर्व सैनिक 325 (143 बैकलॉग) पद, विशेष योग्यजन 80 पद (B/LV-22 (7 बैकलॉग), HI-15, LD/CP&Others-28 (13 बैकलॉग), I.D.,M.I.,S.L.D.,AUTISM&MD-15) दण्डवत आरक्षण टीएसपी – भूतपूर्व सैनिक 33, विशेष योग्यजन 11 पद (B/LV-4, HI-3, LD/CP&Others-2, I.D.,M.I.,S.L.D.,AUTISM&MD-2)																								
विज्ञान (कुल 1565 पद)																								
सामान्य क्षेत्र 1385	352	101	40	9	99	30	8	0	157	43	19	4	114	37	14	0	202	56	25	5	48	17	5	0
टी.एस.पी.क्षेत्र 172	61	16	8	1	0	0	0	0	7	2	0	0	55	15	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0
सहरिया 8	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दण्डवत आरक्षण नॉनटीएसपी – भूतपूर्व सैनिक 270 (100 बैकलॉग) पद, विशेष योग्यजन 56 पद (B/LV-15, HI-13, LD/CP&Others-15, I.D.,M.I.,S.L.D.,AUTISM&MD-13) दण्डवत आरक्षण टीएसपी – भूतपूर्व सैनिक 25 (4 बैकलॉग) पद, विशेष योग्यजन 7 पद (B/LV-2, HI-1, LD/CP&Others-2, I.D.,M.I.,S.L.D.,AUTISM&MD-2)																								
सामाजिक विज्ञान (कुल 1640 पद)																								
सामान्य क्षेत्र 1300	330	96	39	9	94	28	9	0	144	44	16	3	108	32	13	2	188	51	23	7	46	11	7	0
टी.एस.पी.क्षेत्र 332	117	35	13	2	0	0	0	0	12	3	1	0	105	30	11	3	0	0	0	0	0	0	0	0
सहरिया 8	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दण्डवत आरक्षण नॉनटीएसपी – भूतपूर्व सैनिक 158 पद, विशेष योग्यजन 58 पद (B/LV-15 (2 बैकलॉग), HI-13, LD/CP&Others-17 (4 बैकलॉग), I.D.,M.I.,S.L.D.,AUTISM&MD-13) दण्डवत आरक्षण टीएसपी – भूतपूर्व सैनिक 64 (24 बैकलॉग)पद, विशेष योग्यजन 13 पद (B/LV-3, HI-4, LD/CP&Others-3, I.D.,M.I.,S.L.D.,AUTISM&MD-3)																								
पंजाबी (कुल 70 पद)																								
सामान्य क्षेत्र 70	17	5	1	1	5	2	0	0	9	2	1	0	6	2	0	0	11	3	1	0	3	1	0	0
दण्डवत आरक्षण नॉनटीएसपी – भूतपूर्व सैनिक 19 (11 बैकलॉग)पद, विशेष योग्यजन 5 पद (B/LV-1, HI-1, LD/CP&Others-3 (2 बैकलॉग), I.D.,M.I.,S.L.D.,AUTISM&MD-0)																								
उर्दू (कुल 106 पद)																								
सामान्य क्षेत्र 94	27	8	2	0	9	0	0	0	9	4	0	0	9	1	0	0	13	5	0	0	7	0	0	0
टी.एस.पी.क्षेत्र 12	4	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दण्डवत आरक्षण नॉनटीएसपी – भूतपूर्व सैनिक 18 (8 बैकलॉग) पद, विशेष योग्यजन 5 पद (B/LV-3 (1 बैकलॉग), HI-2, LD/CP&Others-0, I.D.,M.I.,S.L.D.,AUTISM&MD-0) दण्डवत आरक्षण टीएसपी – भूतपूर्व सैनिक 2 (1 बैकलॉग) पद, विशेष योग्यजन 2 पद (B/LV-2 (2 बैकलॉग), HI-0, LD/CP&Others-0, I.D.,M.I.,S.L.D.,AUTISM&MD-0)																								
Abbreviations Used : B/LV- Blind/Low Vision, H.I. - Hearing Impaired, LD/CP – Loco motor Disability including Cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy, I.D.-Intellectual Disability, M.I.-Mental Illness, S.L.D.-Specific Learning Disabilities, MD-Mutipal Disabilities																								
नोट :- आठों विषयों में पदों का आरक्षण सम्मागावार उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार दर्शाया गया है।																								
विशेष नोट :- टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थी गैर टीएसपी क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध भी आवेदन कर सकते हैं। इसलिए टी.एस.पी. क्षेत्र के निवासित अभ्यर्थी टी.एस.पी. क्षेत्र एवं गैर टीएसपी क्षेत्र के पदों के संबंध में अपनी प्राथमिकता क्रम (Preference) आवश्यक रूप से ऑनलाईन आवेदन में भरें, अन्यथा उन्हें टी.एस.पी. क्षेत्र हेतु आरक्षित पदों के विरुद्ध लाभ देय नहीं होगा। टी.एस.पी. क्षेत्र के पदों के विरुद्ध केवल राजस्थान राज्य के टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थी ही ऑनलाईन आवेदन करें। अन्य क्षेत्र के अभ्यर्थी यदि टीएसपी के पदों के लिये आवेदन करते हैं तो वे अपात्र होंगे। टी.एस.पी क्षेत्र के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को टीएसपी क्षेत्र में निवासित होने का प्रमाण पत्र यथासमय आयोग कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अपात्र होंगे।																								

नोट :-

1. कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्पूर्वी तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रणीत किया जाएगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात् ऐसी अग्रणीत की गयी रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उपनियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जायेगा परन्तु यह और कि इस उप-नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिए ऐसी रिक्ति पश्चात्पूर्वी वर्षों में उपलब्ध हो।

2. राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।

3. किसी वर्ष विशेष में या तो विधवा या विच्छिन्न विवाह महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को प्रथमतः अन्तर-परिवर्तन द्वारा, अर्थात् विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विच्छिन्न विवाह महिलाओं से या विपर्ययेन, भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विच्छिन्न विवाह अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में, न भरी गई रिक्तियां उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जायेगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेगी जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित है। महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्ति पश्चात्पूर्वी वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जायेगी। विधवा और विच्छिन्न विवाह महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिला को भी पहले महिला कोटे के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा।

4. विशेषयोग्यजन/निःशक्तजन एवं भूतपूर्व सैनिक के लिए दर्शाए गए पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा।

5. राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में जहां भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित कोई रिक्ति उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता के कारण खाली रह जाती है तो उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी और रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रणीत की जायेगी तथा तत्पश्चात् ऐसी रिक्तियां व्यगत हो जायेगी।

6. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति उपयुक्त बैचमार्क निःशक्तजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अग्रेषित की जायेगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैचमार्क निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमतः निःशक्तता की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तरपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जायेगा। यदि उस में भी कोई निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता उस रिक्ति को निःशक्तजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा।

7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षित पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही देय है। अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य/अनारक्षित वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा CA No. 1085/2013 में पारित निर्णय दिनांक 30.08.2018 एवं माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा DBSAW No. 1116/2018 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2018 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर (अन्य राज्य) की महिला जो विवाहोपरान्त राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे Public employment में एससी/एसटी/ओबीसी/एमबीसी वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा। इसलिए उन्हें सामान्य (अनारक्षित) वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।

8. कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.5(18)कार्मिक/क-2/84 पार्ट 4 दिनांक 01.08.2021 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों को देय लाभ, राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही देय होगा।

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं :

(1)हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू एवं पंजाबी विषय के लिये/ :- Graduate or equivalent examination recognized by UGC with concerned subject as Optional Subject, and Degree or Diploma in Education recognized by the National Council of Teacher Education/Government.

विज्ञान विषय के लिये/ :- Graduate or equivalent examination recognized by UGC with at least two of the following subjects as Optional Subjects :- Physics, Chemistry, Zoology, Botany, Micro Biology, Bio Technology and Bio Chemistry and Degree or Diploma in Education recognized by the National Council of Teacher Education/Government.

सामाजिक विज्ञान विषय के लिये/ :-Graduate or equivalent examination recognized by UGC with at least two of the following subjects as Optional Subjects:-History, Geography, Economics, Political Science, Sociology, Public Administration and Philosophy, and Degree or Diploma in education recognized by the National Council of Teacher Education/Government.

(2) Working knowledge of Hindi written in Devnagari Script and knowledge of Rajasthani culture.

शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान	पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा।
वेतन का रनिंग पे-बैण्ड	पे-मैट्रिक्स लेवल L-11 (Grade Pay -4200/-) नोट :- राज्य सरकार के नियमानुसार परिवीक्षाकाल में नियत मासिक वेतन (Fix Pay) देय होगा।
आयु सीमा	दिनांक 01.01.2023 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिये।

विज्ञापित पदों के अनुरूप दर्शाये गये आरक्षित पदों हेतु विभिन्न वर्गों/ अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान		
क्र.सं.	अभ्यर्थियों का वर्ग एवं अन्य विशिष्ट श्रेणिया	अधिकतम आयु में देय छूट
1.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष Male Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections of Rajasthan State	5 वर्ष Five Years
2.	राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला Women Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections of Rajasthan State	10 वर्ष Ten Years
3.	सामान्य (अनारक्षित) वर्ग की महिला Women Candidates belonging to General Category	5 वर्ष Five Years
4.	विधवा एवं विच्छिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला Explanation :- In the case of a widow, she will have to furnish a certificate of death of her husband from the Competent Authority and in case of divorcee, she will have to furnish proof of divorce.	अधिकतम आयु सीमा नहीं
5.	उपर्युक्त उच्चतम आयु सीमा उस भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जो दोषसिद्धि से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर Substantive तौर पर सेवा कर चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति के पात्र था। The upper age limit mentioned above shall not apply in the case of an ex-prisoner who had served under the Government on a substantive basis on any post before his/her conviction and was eligible for appointment under these Rules,	
6.	उस भूतपूर्व कैदी के मामले में जो अपनी दोषसिद्धि के पूर्व अधिकार्यु नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र था, उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उसके द्वारा भुक्त कारावास की कालावधि के बराबर की अवधि की छूट दी जाएगी। The upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the term of imprisonment served in the case of other ex-prisoners who was not over age before his conviction and was eligible for appointment under these Rules,	
7	कैडेट इन्स्ट्रक्टर के मामले में उतने ही काल की छूट होगी जितनी सेवा उन्होंने एन.सी.सी. में की होगी बशर्ते परिणामित आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी तो उन्हें निर्धारित आयु सीमा में ही समझा जावेगा। The upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the service rendered in the N.C.C. in the case of Cadet Instructors, if the resultant age does not exceed the prescribed maximum age limit by more than three years, they shall be deemed to be within the prescribed age limit.	
8	पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों के कारोबार में Substantive रूप से कार्यरत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। The upper age limit for persons serving in connection with the affairs of the State, Panchayat Samities and Zila Parishads and in the State Public Sector Undertaking/Corporations in substantive capacity shall be 40 years.	
9	निर्मुक्त हुए आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों और लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात् आयु सीमा में ही समझा जाएगा चाहे उन्होंने आयोग के समक्ष उपस्थित होने के समय आयु सीमा पार कर ली हो बशर्ते कि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे। The Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers after release from the Army shall be deemed to be within the age limit even though they have crossed the age limit when they appear before the Commission, Board or Appointing Authority, as the case may be, had they been eligible as such at the time of their joining the Commission in the Army.	
10	इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति अगर प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में समझा जावेगा चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जावेंगे। The persons appointed temporarily to a post in the Service shall be deemed to be within the age-limit, if they were within the age limit when they were initially appointed even though they have crossed the age-limit when they appear finally before the Commission/Board/Appointing	

	Authority and shall be allowed up to two chances had they been eligible as such, at the time of their initial appointment;
12	राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट देय होगी परन्तु इन नियमों के अधीन शिथिलीकरण के पश्चात् यदि अनुज्ञेय आयु 50 वर्ष से अधिक निकलती है तो ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष लागू होगी किन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहां निम्नतर पद का अनुभव अनिवार्य है वहां 55 वर्ष की अधिकतम उपरी आयु सीमा लागू होगी। According to the Rajasthan Civil Services (Absorption of Ex-servicemen) Rules 1988, relaxation in upper age limit shall be ten years for Ex-servicemen; Provided that if permissible age after relaxation under this rule works out to be more than 50 years, then upper age limit of 50 years shall be applicable but in case of direct recruitment, where experience of lower post is essential, the maximum upper age limit of 55 years shall be applicable. स्पष्टीकरण :- कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 22.8.2019 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 यथासंशोधित प्रावधानों के होते हुए भी किसी भर्ती से संबंधित सेवा नियमों में आयु संबंधी जो शिथिलता अन्य लोक सेवकों/अभ्यर्थियों को देय है, वह भूतपूर्व सैनिक को भी देय होगी अर्थात् आयु संबंधी शिथिलता के संबंध में दोनों नियमों में जो भी हितकर प्रावधान है, उसका लाभ भूतपूर्व सैनिकों को मिलेगा।
13	राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार निःशक्तजन व्यक्तियों के लिए ऊपर उल्लेखित ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट देय होगी। According to the Rajasthan Rights of Persons with Disabilities Rules 2018, the upper age limit mentioned above shall be relaxed by 05 years for persons with benchmarks disabilities.
नोट :- विभिन्न वर्गों/अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु देय आयु सीमा में छूट के उक्त प्रावधानों जिनमें सामान्य स्थिति में अधिकतम आयु सीमा से कम/तक की आयु सीमा में छूट दी गई हो, स्वतः ही निष्प्रभावी माने जायेंगे।	
नोट – - उपरोक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के बिन्दु संख्या 01 से 12 तक के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा। - विशेषयोग्यजन को ऊपरी आयु सीमा में देय छूट के उपर्युक्त बिन्दु संख्या 01 से 12 तक के अनुसार छूट दिये जाने के पश्चात् बिन्दु संख्या 13 में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार अतिरिक्त छूट देय होगी। - कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.7.2017 एवं पत्र दिनांक 14.9.2017 के अनुसार यदि किसी आरक्षित वर्ग (SC/ST/OBC/MBC/EWS) के अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे- आयुसीमा, अंक, फिजिकल फिटनेस आदि) का लाभ लिया जाता है तो उसे सामान्य (अनारक्षित) रिक्रूटियों के प्रति विचारित नहीं किया जायेगा। - उक्त पद आयोग द्वारा वर्ष 2018 में विज्ञापित किये गये थे जिसके तहत आयु की गणना का आधार 01.07.2018 रखा गया था। तत्पश्चात् उक्त पदों हेतु कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया। अतः जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2023 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23.09.2008 में विहित प्रावधानानुसार अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की अतिरिक्त छूट देय होगी। - राजस्थान सेवा नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी हेतु सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। इसलिए नियुक्ति दिनांक तक अभ्यर्थी की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। - अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में अंकित किये गये हैं। किसी प्रकार के विधिक वाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में अंकित प्रावधान ही मान्य होंगे।	
अन्य विवरण	
चयन प्रक्रिया	अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तरपत्रक/उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग/नॉर्मलाईजेशन (सामान्यीकरण) पद्धति को अपनाया जा सकेगा।
परीक्षा का स्थान एवं माह	परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथासमय सूचित किया जायेगा।
परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम	उक्त पदों से संबंधित सेवा नियम के नियम 22 के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा के रूप में आयोजित की जायेगी। उक्त नियम में उल्लेखित परीक्षा योजना के अनुसार परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ली जायेगी जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे।" विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर पृथक से जारी किया जाएगा।
आवेदन अवधि	दिनांक 11.04.2022 से दिनांक 10.05.2022 रात्रि 12-00 बजे तक।
आवेदन प्रक्रिया	- उक्त पद हेतु ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों (Instructions for Applicants), विस्तृत विज्ञापन एवं संबंधित सेवा नियम का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेंगे। तदुपरान्त ही अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करें। आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध अभ्यर्थियों के लिए दिशा-निर्देश (Instructions for Applicants) विज्ञापन का ही भाग/हिस्सा माना जायेगा। - ऑनलाईन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को आयोग के ऑनलाईन पोर्टल https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध Apply online link को Click कर अथवा एस.एस.ओ. (SSO) पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर One Time Registration (OTR) करना होगा। प्रथम बार One Time Registration (OTR) करने हेतु अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकेण्डरी/समकक्ष परीक्षा एवं आधार कार्ड/पैन कार्ड/वोटर कार्ड/ब्राइविंग लाइसेंस आई.डी. में से किसी एक आई.डी. प्रूफ के विवरणों का इन्द्राज एवं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने अनिवार्य होंगे। - अभ्यर्थी द्वारा One Time Registration करने के पश्चात् OTR Profile में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकेण्डरी/समकक्ष परीक्षा का विवरण एवं आधार कार्ड/पैन कार्ड/वोटर कार्ड/ब्राइविंग लाइसेंस आई.डी. विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। - अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के पश्चात् Recruitment Portal पर उपलब्ध भुगतान सुविधा से परीक्षा शुल्क का भुगतान कर आवेदन पत्र क्रमांक (Application I.D) जनरेट करना होगा। - अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा करवाने हेतु अन्य किसी पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करें। - अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा शुल्क जमा करने की सुविधाओं में किसी भी प्रकार का शुल्क रिफण्ड नहीं किया जायेगा। - अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान आवेदन की अन्तिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधित Transaction का लम्बित सत्यापन समय रहते हो सके अन्यथा इसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन-पत्र क्रमांक (Application I.D.) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन-पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन Submit नहीं माना जायेगा। - आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो Recruitment Portal पर दिये गये Helpdesk Number या E-Mail पर सम्पर्क करें। - आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने हेतु पात्र है, उसी श्रेणी में ऑन-लाईन आवेदन करें। गलत सूचना देने/तथ्य छुपाने पर आयोग अभ्यर्थी पर नियमानुसार कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा। - राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की क्रिमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (Creamy Layer and Non-Creamy Layer)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करते हुए सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा। - अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के पश्चात् आवेदन पत्र व परीक्षा शुल्क रसीद की हार्ड कॉपी का प्रिन्ट आवश्यक रूप से निकाल लेंगे। - आयोग द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रक्रियानुसार ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के अतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का कोई ऑनलाईन या ऑफलाईन/हाथ से भरा हुआ आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी आवेदन में आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्जित सभी शैक्षणिक योग्यता/अनुभव का विवरण स्पष्टतः एवं आवश्यक तौर पर अंकित करें। आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात् ऐसी योग्यता/अनुभव विचारणीय नहीं होगा, यदि आवेदन में अंकन नहीं है। केवल आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात् अर्जित शैक्षणिक योग्यता/अनुभव ही बाद में विचारणीय होंगे। अर्जित शैक्षणिक योग्यता/अनुभव ही बाद में विचारणीय होंगे।
ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना :- ऑनलाईन आवेदन Submit किये जाने के पश्चात् यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन में OTR Profile में दर्शाए गये स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग के अतिरिक्त अन्य त्रुटि संशोधन निम्नानुसार कर सकता है:- - यदि कोई अभ्यर्थी अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात् 10 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क रुपये 500/- देकर Online संशोधन (आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध दिशा-निर्देशानुसार) कर सकता है। इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा। - आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा आयोजन की तिथि से 45 दिवस पूर्व 10 दिन के लिए ऑनलाईन एडिट हेतु विकल्प खोला जायेगा जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी के फोटो, नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि एवं लिंग के अतिरिक्त अन्य संशोधन किये जा सकते हैं। - किसी भी प्रकार के संशोधन के पश्चात् के पश्चात् अभ्यर्थी को एस.एम.एस. के माध्यम से सूचित किया जायेगा एवं किए गए संशोधन की पुष्टि ओ.टी.पी. के माध्यम से की जायेगी।	

4. One Time Registration (OTR) लागू किये जाने के कारण ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग में किसी स्तर पर कोई संशोधन संभव नहीं होगा। 5. सभी प्रकार के संशोधन हेतु शुल्क 500/— रुपये निर्धारित है। 6. आयोग द्वारा परीक्षा आयोजन के पश्चात् किसी भी प्रकार का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा। 7. आयोग द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी भी तरह से कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा व उक्त ऑफलाईन/ऑनलाईन संशोधन तिथि उपरान्त कोई भी परिवर्तन करने हेतु अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।	
Scheme and syllabus of competitive examination for senior teacher The Examination shall carry 500 marks. There will be two papers. Paper-I shall be of 200 marks and Paper-II shall be of 300 marks. PAPER – I - The question paper will carry maximum 200 marks. - Duration of question paper will be 2.00 hours. - The question paper will carry 100 questions of multiple choices. - Paper shall include following subjects:- - Geographical, Historical, Cultural and general knowledge of Rajasthan. - Current Affairs of Rajasthan - General knowledge of world and India - Educational Psychology. - Negative marking shall be applicable in the evaluation of answer. For every wrong answer one third of the the marks prescribed for that particular question shall be deducted. Explantion: Wrong answer shall mean an incorrect answer or multiple answers. - The minimum qualifying marks for each paper shall be 40%. Provided that the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. PAPER – II - The question paper will carry maximum 300 marks. - Duration of question paper will be 2 Hours 30 Minutes - The question paper will carry 150 questions of multiple choices - Negative marking shall be applicable in the evaluation of answers. For every wrong answer one third of the the marks prescribed for that particular question shall be deducted. Explantion: Wrong answer shall mean an incorrect answer or multiple answers. - The minimum qualifying marks for each paper shall be 40% . Provided that the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. - Paper shall include following subjects :- - Knowledge of secondary and senior secondary standard about relevant subject matter. - knowledge of graduation standard about relevant subject matter - Teaching methods of relevant subject. Syllabus and Scope of Papers :- The syllabus and scope of paper for the examination will be as prescribed by the Commission/Rajasthan Staff Selection Board/Appointing Authority as the case may be, from time to time and wil be intimated to the within the supulated time in the manner as the Commission/Rajasthan Staff Selection Board/Appointing Authority, as the case may be, deems fit.	
परीक्षा शुल्क:- (क) सामान्य (अनारक्षित) वर्ग एवं राजस्थान के क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु :- (ख) राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के आवेदक हेतु :- (ग) नि:शक्तजन, राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग तथा जिनकी पारिवारिक आय 2.50 लाख से कम है, के आवेदकों हेतु :- (घ) टी.एस.पी क्षेत्र के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं बारां जिले की समस्त तहसीलों के सहरिया आदिम जाति के आवेदकों हेतु :- नोट :- - राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य (अनारक्षित) वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा। - राज्य सरकार द्वारा सभी वर्ग के अभ्यर्थियों की आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत लिये गये निर्णय के क्रम में जारी परिपत्र दिनांक 02.05.2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम है, के लिए किसी भी भर्ती/परीक्षा/चयन में प्रवेश करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के समान ही आवेदक शुल्क देय होगा। उक्त परिपत्र के अनुसार राजस्थान राज्य के जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन के समय परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम होने का विकल्प चुना गया है, उन अभ्यर्थियों को पात्रता जांच/साक्षात्कार के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त लाभ राजस्थान राज्य के अभ्यर्थियों को ही देय होगा। राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के आवेदकों को सामान्य वर्ग हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा।	रुपये 350/— रुपये 250/— रुपये 150/— रुपये 150/—
अति महत्वपूर्ण बिन्दु/नोट :- - अभ्यर्थी Online Application Form में अपना वही मोबाईल नम्बर व ई—मेल आई.डी. अंकित करें जिस पर वह परीक्षा/साक्षात्कार इत्यादि संबंधी भावी सूचना SMS & E-Mail के माध्यम से चाहता है। ऑनलाईन आवेदन में अंकित मोबाईल नम्बर व ई—मेल आई.डी. बदलने/बन्द होने/नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी। अभ्यर्थी यथासम्भव मोबाइल नम्बर एवं पत्र व्यवहार के पते में परिवर्तन नहीं करें, यदि परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो तो इसकी सूचना आयोग को शीघ्र भेंजें। - आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन—पत्र ध्यानपूर्वक भरें। आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन—पत्र अन्तिम रूप से भरने से पूर्व उसकी समस्त प्रविष्टियों से आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही—सही भरी गई है। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को ही सही मानकर आयोग द्वारा आगे की कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा में आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किये बिना अपना ऑनलाईन आवेदन करें, अन्यथा किसी प्रकार की कोई नेटवर्क समस्या के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होकर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। - आवेदक द्वारा स्वयं/ई—मित्र/अन्य किसी स्रोत से ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरते/भरवाते समय किसी प्रकार की कोई गलत प्रविष्टि/भूलवश त्रुटि हो जाती है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। इसलिए आवेदक सर्वप्रथम ऑनलाईन आवेदन—पत्र के Preview मे अपनी जाति/वर्ग/श्रेणी, आयु (जन्म दिनांक), योग्यता इत्यादि संबंधी त्रुटियों की जाँच आवश्यक रूप से करने के पश्चात् ही उन्हें सुधारते हुए ऑनलाईन आवेदन—पत्र को Submit करें और उसका प्रिन्ट लेकर उसकी जाँच आवश्यक रूप से पुनः कर लें। अगर फिर भी कोई गलती/त्रुटि पाई जाती है, तो आयोग द्वारा ऑनलाईन आवेदन—पत्र में संशोधन की उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संशोधन आवश्यक रूप से कर लें। इसके पश्चात् किसी प्रकार का कोई ऑनलाईन या ऑफलाईन संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व स्वयं अभ्यर्थी का ही होगा। साथ ही आवेदक को यह भी हिदायत दी जाती है कि आवेदक अगर ई—मित्र अथवा अन्य स्रोत से आवेदन करवाता है, तो आवेदक स्वयं ई—मित्र अथवा अन्य स्रोत पर जाकर आवेदन करवायें। ई—मित्र अथवा अन्य स्रोत के भरोसे न छोड़े कि उनके द्वारा आपका ऑनलाईन आवेदन—पत्र सही—सही भर दिया होगा/जायेगा। किसी भी प्रकार की गलत सूचना भरे जाने पर आयोग अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु स्वतंत्र होगा। - यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो इसे अधिकारों का परित्याग मानते हुये आवेदन पत्र में संशोधन की उपर्युक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् उसकी श्रेणी में सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी में आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन—पत्र आयोग द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/टी.एस.पी./विधवा/परित्यक्ता/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/गेर राजपत्रित कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य वर्ग के अभ्यर्थी Online Application Form प्रस्तुत (Submit) करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट रूप से उल्लेख निर्धारित कॉलम में करें अन्यथा Online Application Form प्राप्ति की अन्तिम दिनांक पश्चात्/संशोधन करने की अवधि समाप्त होने के बाद वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थियों को जो कि उक्त वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होकर आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन—पत्र में जो श्रेणी/वर्ग भरी/भरा है, उसी श्रेणी/वर्ग में ही मानकर कार्यवाही की जाएगी एवं अभ्यर्थी/आवेदक द्वारा जिस श्रेणी/वर्ग में ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरा है उस संबंधित वर्ग/श्रेणी से संबंधित प्रमाण—पत्र/दस्तावेज यथा समय प्रस्तुत नहीं करने पर आवेदक/अभ्यर्थी का ऑनलाईन आवेदन—पत्र निरस्त/रद्द/पात्रता रद्द कर दी जायेगी/जायेगा। - आयोग द्वारा ऑनलाईन आवेदन—पत्र में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही अभ्यर्थियों की पात्रता (आयु, योग्यता, श्रेणी इत्यादि) की जांच की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका ऑनलाईन आवेदन—पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। - आवेदक जिनके ऑनलाईन आवेदन पत्र, आवेदन—पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक आयोग कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होंगें, ऐसे आवेदकों को आयोग द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से संबंधित भर्ती परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा के लिये प्रवेश—पत्र जारी करने का यह अभिप्राय नहीं है कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन—पत्र में उल्लेखित प्रविष्टियाँ आयोग द्वारा सही मान ली गई है। आयोग/विभाग द्वारा आवेदकों की पात्रता की जाँच अलग से की जायेगी। अस्थायी रूप से चयन होने की स्थिति में आवेदक को विस्तृत आवेदन—पत्र दो प्रतियों में समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियों एवं परीक्षा हेतु जारी ई—प्रवेश पत्र की प्रति के साथ आयोग कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। आयोग द्वारा	

	उम्मीदवार की पात्रता की जाँच करते समय तथा मूल प्रलेखों से पात्रता की जाँच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/टी.एस.पी./विधवा/परित्यक्ता/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य शर्तों की पालना नहीं करने के कारण यदि अभ्यर्थी की अपात्रता का पता चलता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
9.	यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित समयावधि तक विस्तृत आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत नहीं करता है तो यह माना जाकर कि अभ्यर्थी उक्त पद हेतु इच्छुक नहीं है, उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।
10.	माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा D.B.Special Appeal Writ No. 1631/2017 आरपीएससी बनाम प्रियंका जैन व अन्य के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 01.11.2017 के अनुसार ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक विधवा/परित्यक्ता वर्ग में आवेदित महिला द्वारा आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् पुनर्विवाह कर लिया जाता है तो भी उसे विधवा/परित्यक्ता वर्ग का लाभ दिया जायेगा। इसी प्रकार ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् परन्तु ऑनलाईन आवेदन में संशोधन की तिथि तक जो आवेदक/आवेदिका विकलांग/विधवा/परित्यक्ता हुआ/हुई है, उन्हें विकलांग/विधवा/परित्यक्ता वर्ग का लाभ लेने हेतु उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अपना वर्ग अनिवार्य रूप से परिवर्तन करवाना होगा अन्यथा उसे विकलांग/विधवा/परित्यक्ता श्रेणी का लाभ देय नहीं होगा। यदि परित्यक्ता/तलाकशुदा आवेदक का तलाक सम्बन्धी प्रकरण/वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन/लम्बित है एवं डिक्री पारित नहीं हुई है, तो परित्यक्ता/तलाकशुदा श्रेणी/वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। साथ ही विधवा/परित्यक्ता श्रेणी की महिला को ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक/संशोधन की दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी या विधवा/परित्यक्ता श्रेणी में होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
11.	आवेदक उक्त पद हेतु तभी आवेदन करें जब वह उक्त पद हेतु विज्ञापन में निश्चित निम्न व उच्च आयु सीमा के अन्तर्गत वांछित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित सम्पूर्ण मानदण्ड/मापदण्ड पूर्ण करता हो। साथ ही इस विज्ञापन में दी गई उक्त वांछित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के अतिरिक्त अन्य किसी योग्यता एवं अनुभव को आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदक के पास विज्ञापन में उल्लेखित अनुसार शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण-पत्र होने पर ही पात्र माना जायेगा अन्यथा अपात्र माना जायेगा।
12.	आवेदक को इस विज्ञापन में दी गई आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कोई निम्नतम आयु एवं अधिकतम आयु संबंधी छूट नहीं दी जायेगी।
13.	परीक्षार्थियों को ई-प्रवेश-पत्र पर उल्लेखित विस्तृत दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
14.	परीक्षा के दौरान ओ.एम.आर. पत्रक (उत्तर पुस्तिका) में अंकित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा दिया जाना आवश्यक होगा, परीक्षार्थी द्वारा ओ.एम.आर. पत्रक में किसी प्रकार की गलती/त्रुटि करने के लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
15.	परीक्षा के दौरान प्रश्न-पत्र में अंकित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा दिया जाना आवश्यक होगा, परीक्षार्थी द्वारा प्रश्न-पत्र में दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण किसी प्रकार की गलती/त्रुटि के लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
16.	प्रश्न-पत्र में त्रुटि होने अथवा एक से अधिक उत्तर गलत/सही होने अथवा उत्तर कुंजी में गलती/त्रुटि अथवा प्रश्नोत्तर के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग के विषय विशेषज्ञों के पैनल द्वारा तैयार की गई अन्तिम उत्तर कुंजी के आधार पर जारी परिणाम को मानने का आयोग को स्वाधिकार होगा, जो सभी अभ्यर्थियों को स्वीकार्य होगा। उसमें किसी प्रकार का कोई वाद-विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।
17.	परीक्षार्थी द्वारा केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी या कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन नहीं करने/परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध आयोग/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे समस्त कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत आयोग द्वारा निर्धारित नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
18.	यदि किसी अभ्यर्थी/परीक्षार्थी को आयोग की किसी भी भर्ती/परीक्षा बोर्ड द्वारा अनुचित साधनों के प्रयोग/उपभोग या अनुचित/अभद्र व्यवहार के लिए भविष्य की परीक्षाओं/साक्षात्कारों आदि से विवर्जित (Debar) किया गया है, तो उसे आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं/साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
19.	राज्य कर्मचारी को देय लाभ यथा आयुसीमा में छूट, आरक्षण इत्यादि केवल राजस्थान राज्य के कर्मचारियों को ही प्राप्त है। अन्य राज्य के कर्मचारी या केन्द्र सेवा के कर्मचारी सामान्य ही माने जायेंगे, उन्हें उक्त लाभ नहीं दिया जायेगा।
प्रमाण-पत्रों का सत्यापन :-	
आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/टी. एस.पी./विधवा/परित्यक्ता/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य) का लाभ तब ही देय होगा जबकि परीक्षा/मुख्य परीक्षा/संवीक्षा परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित होने पर मूल दस्तावेजों से उनकी पात्रता की जाँच कर ली गई हो तथा दस्तावेज सही पाये गए हों। अतः पात्रता की जाँच हेतु निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर लिया जावे :-	
1.	कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 20.01.2022 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने हेतु जाति प्रमाण-पत्र ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा।
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण-पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमीलेयर/नॉन क्रीमीलेयर की प्रविष्टियां सही-सही एवं पूर्ण भरी गई हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र जो नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो। अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
3.	राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को Online Application Form में सामान्य वर्ग के आवेदक के रूप में आवेदन करना होगा।
4.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ होना चाहिए तथा टी.एस.पी. क्षेत्र का प्रमाण-पत्र कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.10.2019 के अनुसार अधिसूचना के पश्चात् का जारी किया हुआ होना चाहिए।
5.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास स्थान के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम व निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
6.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी Income & Assets Certificate प्रस्तुत करना होगा।
7.	शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता/अनुभव आवेदन की अंतिम दिनांक/परीक्षा दिनांक/साक्षात्कार दिनांक तक (जो भी विज्ञापन में उल्लेखित हो) अर्जित होना आवश्यक है तथा शेष सभी प्रमाण पत्र जैसे- श्रेणी/वर्ग/जाति/टी.एस.पी. श्रेणी (सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र), आयु (आयु की गणना हेतु सैकण्डरी परीक्षा प्रमाण-पत्र), उत्कृष्ट खिलाड़ी (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा-निर्देशानुसार प्रमाण-पत्र), विकलांगता (सम्पूर्ण भारत वर्ष के किसी भी राज्य के सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी 40 प्रतिशत या उससे अधिक का विकलांगता प्रमाण-पत्र जिसमें निःशक्तता की श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख हो), राज्य कर्मचारी, गैर राजपत्रित कर्मचारी, मंत्रालयिक कर्मचारी, विभागीय कर्मचारी इत्यादि नियमानुसार जारी होना आवश्यक है। विधवा श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला आवेदक के पास पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं पति के नाम से लिंक प्रमाण पत्र (यथा – राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पति के नाम से मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि) तथा परित्यक्ता/तलाकशुदा श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला आवेदक के पास माननीय न्यायालय द्वारा पारित तलाक सम्बन्धी डिक्री या विधिका प्रावधान के अनुसार तलाक का साक्ष्य ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक/संशोधन की दिनांक तक होना आवश्यक है।
8.	भूतपूर्व सैनिक के संबंध में प्रावधान – कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.12.2020 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया/गयी है या आगामी एक वर्ष के भीतर-भीतर सेवानिवृत्त हो रहा/रही है पर उसने सक्षम प्राधिकारी से निराक्षेप प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी, किन्तु पदग्रहण से पूर्व उसे समुचित नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष सेवानिवृति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक निराक्षेप प्रमाण पत्र (N.O.C) के आधार पर आवेदन करता/करती है और वास्तविक सेवानिवृति से पूर्व चयनित हो जाता/जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी पदग्रहण कालावधि को शिथिल कर सकेगा और उसे उसकी सेवानिवृति के दो माह की किसी कालावधि के भीतर-भीतर पद ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा। कार्मिक (क-4/2) विभाग के पत्र दिनांक 19.07.2021 के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन किये जाने के पश्चात् सेवानिवृति के प्रमाण का प्रस्तुतिकरण के लिए 01 वर्ष की अवधि की गणना आवेदन पत्र की अंतिम तिथि से की जायेगी। साथ ही यदि किसी भूतपूर्व सैनिक ने आरक्षण का लाभ लेने के पश्चात् राजस्थान सरकार के अधीन किसी पद पर एक बार सेवा ग्रहण कर ली है तो राजस्थान सरकार के अधीन पुनर्नियोजन के प्रयोजन के लिए उसकी भूतपूर्व सैनिक की प्रास्थिति समाप्त हो जायेगी। राजस्थान सरकार के अधीन नियोजन ग्रहण करने के पश्चात् किसी व्यक्ति को एक सिविल कर्मचारी माना जायेगा। परन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहां किसी भी पद के लिए, किसी निम्नतर पद का अनुभव अनिवार्य है, भूतपूर्व सैनिक को केवल इस कारण से कि वह, सरकारी सेवा में किसी निम्नतर पद, जिसका अनुभव उच्चतर पद पर सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित है, पर नियोजित है, भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह और कि यदि कोई भूतपूर्व सैनिक राजस्थान सरकार के अधीन किसी नियोजन के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों/सन्तानों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती, परन्तु यह और कि जहाँ किसी आवेदक के पूर्वतर प्रसव से केवल एक बच्चा/सन्तान है, किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से
9.	शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19)गृह-13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी विवाह प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना वांछनीय होगा।
10.	ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे/सन्तान हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा, परन्तु दो से अधिक बच्चों/सन्तानों वाले किसी भी आवेदक को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों/सन्तानों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती, परन्तु यह और कि जहाँ किसी आवेदक के पूर्वतर प्रसव से केवल एक बच्चा/सन्तान है, किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से

अधिक बच्चे/सन्ताने पैदा होते हैं, वहाँ बच्चों/सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा। परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वतर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी। परन्तु यह भी कि ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उपनियम के अधीन नियुक्ति के लिए निरहित नहीं है तो उसे निरहित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो। तत्सम्बन्धी शपथ—पत्र यथा समय प्रस्तुत करना वांछनीय होगा। 11. आवेदक को विज्ञापन में उल्लेखानुसार आवश्यक वांछित शैक्षणिक योग्यता व अनुभव प्रमाण—पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। 12. विधवा/परित्यक्ता श्रेणी की महिला को ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक/संशोधन की दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी या विधवा/परित्यक्ता श्रेणी में होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। 13. आवेदक को अन्तिम शैक्षणिक संस्था का चरित्र प्रमाण—पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें चरित्र के सम्बन्ध में कम से कम “अच्छा” का उल्लेख/अंकित होना आवश्यक होगा। 14. आवेदक को चयन उपरान्त आचरण सम्बन्धी पुलिस सत्यापन प्रमाण—पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें आवेदक के खिलाफ ऐसी किसी आपराधिक धारा का उल्लेख नहीं होना चाहिये जिससे राज्य सेवा में नियुक्ति में बाधा/समस्या उत्पन्न हो। साथ ही किसी आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध होने या प्रकरण/वाद न्यायिक रूप से विचाराधीन होने पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा। 15. आवेदक को चयन उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा जाँच सम्बन्धी चिकित्सा प्रमाण—पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, कि आवेदक पूर्णरूप से स्वस्थ है एवं राज्य सेवा के लिए पूर्णतः उपयुक्त है। 16. आवेदक जो पहले से ही सरकारी सेवा यथा/जैसे केन्द्रीय/राज्य/सरकारी उपक्रमों में नियुक्त है एवं उनका चयन उक्त पदों हेतु भर्ती में हो गया है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण—पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
आवेदन-पत्र में गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना/अपूर्ण आवेदन-पत्र नहीं भरने के सम्बन्ध में विशेष निर्देश :- अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए परीक्षार्थियों हेतु आयोग द्वारा आयोग की वेबसाइट पर जारी नवीनतम एवं संशोधित आवेदन-पत्र व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश तथा सम्बन्धित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से करते हुए आवेदन-पत्र भरें। कोई गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन-पत्र भरने पर आवेदक का आवेदन-पत्र रद्द कर दिया जावेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन-पत्र के सुधार हेतु व्यक्तिशः/ऑफलाईन प्रार्थना-पत्र/ऑनलाईन प्रार्थना-पत्र/पत्र-व्यवहार इत्यादि स्वीकार नहीं किया जाएगा। चूंकि आयोग द्वारा अभ्यर्थी की पात्रता की जांच सम्बन्धित भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी होने के पश्चात् अस्थाई रूप से चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत विस्तृत आवेदन-पत्र के माध्यम से पूर्व किये गये ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई सूचना के आधार पर की जाती है। इसलिए ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को सही मानते हुए भर्ती परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जायेगा। अगर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अपूर्ण सूचना भरी है, तो अभ्यर्थी का चयन रद्द करने का अधिकार आयोग का होगा व इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी जिसके सम्बन्ध में अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।
विशेष नोट :- यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा उक्त विज्ञापन में विज्ञापित पद हेतु समस्त स्थिति उक्तानुसार स्पष्ट की जा चुकी है अगर फिर भी आवेदक/ई-मित्र/अन्य स्रोत द्वारा किये गये ऑनलाईन आवेदन-पत्र में किसी प्रकार की कोई गलती/त्रुटि/लोप/अपूर्ण सूचना रह जाती है एवं उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक वांछित संशोधन नहीं किया जाता है या विज्ञापन के अनुसार पूर्ण पात्रता नहीं रखता है, इत्यादि के कारण आवेदक का ऑनलाईन/विस्तृत आवेदन-पत्र आयोग द्वारा खारिज/निरस्त कर दिया जाता है, तो इस सम्बन्ध में किसी प्रार्थना-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा और अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार भी नहीं होगा।

अन्य बिन्दु व सूचना :- परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध **नवीनतम एवं संशोधित परीक्षार्थियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश** तथा **सम्बन्धित सेवा नियमों** का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। इसके अतिरिक्त इस परीक्षा के संबंध में समय-समय पर जारी सूचनाओं का अवलोकन आयोग की वेबसाइट <https://rpsc.rajasthan.gov.in> पर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा **दूरभाष सं.- 0145-2635212 एवं 2635200** पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।

(एच.एल. अटल)
सचिव